

//कार्यालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर (म.प्र.)//

क्रमांक/849 /स्थापना/ 2023

अलीराजपुर दिनांक 01/05/2023

-:विज्ञप्ति:-

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि...12/5/23

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के जाप क्रमांक एफ 6-99/2019/सात/4 भोपाल दिनांक 29-08-2022 के परिपालन में म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11-3/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 13 अगस्त 2021 अनुसार जिला अलीराजपुर राजस्व विभाग अंतर्गत सीधी भर्ती चतुर्थ श्रेणी (नियमित भृत्य) के स्वीकृत पदों के 05 प्रतिशत तक रिक्त पदों की पूर्ति जिला स्तर पर की जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 12/5/23 शाम 5.30 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	विज्ञापित पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पद	वेतनमान
1	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य पद हेतु)	03	01 (महिला) 02 (ओपन)	4400-7440+1300 ग्रेड-ये (सातवे वेतनमान अनुसार मूलवेतन 15500/-)

भृत्य पद हेतु

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

(1) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण।

विज्ञप्ति की शर्त :-

- 1- आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. अनुसूचित जनजाति के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के किसी भी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
4. आवेदक की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। (अनु0जनजा0, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं अनारक्षित/आरक्षित के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)
5. उम्मीदवार का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर मेरिट पर किया जावेगा। कुल प्राप्त प्रतिशत अंक को ही वरीयता हेतु अंक माना जायेगा।
6. किसी भी शासकीय संस्था में मानदेय पर कार्यरत को अनुभव का अंक दिया जाएगा। प्रति वर्ष अनुभव के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे अधिकतम 15 अंक निर्धारित हैं। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे।
7. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जाएगी। जिस व्यक्ति की उम्र अधिक होगी उसे वरीयता प्रदान की जावेगी।
8. आवेदन के साथ न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की अंकसूची में स्पष्ट रूप से प्रतिशत/प्राप्तांक का उल्लेख संबंधी अंकसूची ही मान्य किए जाएंगे।

विज्ञापित पदों की न्यूनतम शिक्षण अर्हता के अतिरिक्त अन्य कोई अर्हता/योग्यता पर कोई बोनस अंक नहीं दिया जाएगा।

10. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले एवं विज्ञापन में दिए गए निर्देशों / नियम शर्तों को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रेषित करेंगे। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करेंगे आवेदन त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

11. अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

12. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी।
(क) परिवीक्षा अवधि में वित्त विभाग के निर्देश के तहत निम्नानुसार स्टापेड देय होगा:-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

(ख) परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टापेड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।

परिवीक्षा की समाप्ति पर जब वह सेवा व पद पर नियमित किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा व पद को लागू वेतन में नियत किया जायेगा।

13. प्रतीक्षा सूची चयन समिति के अनुमोदन उपरांत मूल सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।

14. दावा आपत्ति के दौरान केवल टंकन त्रुटि ही मान्य किये जायेंगे। अतिरिक्त अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे। दावा आपत्ति की समय-सीमा उपरांत किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य / फर्जी पाई जाती है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल समाप्त की जायेगी।

टिप्पणी:-

1. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-22/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 30 मई 30 मई 2019 अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरीया, तथा बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा छिन्दवाडा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का उम्मीदवार है और विज्ञापित पद के लिये आवेदन करता है, और इस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।

2. आवेदन पत्र पर आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करना अनिवार्य है जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।

3. आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रतिया सत्यापित होना अनिवार्य है।

4. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी माध्यम से कार्यालय कलेक्टर अलीराजपुर में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र एवं अपूर्ण पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त माना जावेगा।



कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ.क्रमांक/ 856 /2023

अलीराजपुर दिनांक...01/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त 220 राजस्व भवन अरेरा हिल्स भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
4. प्रभारी अधिकारी वित्त-2 (जिला नाजिर) कलेक्टोरेट, अलीराजपुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति को कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पंचनामा रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
5. जिला विज्ञान एवं सूचना केन्द्र अधिकारी अलीराजपुर/ प्रभारी अधिकारी लोक सेवा गारंटी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है उक्त विज्ञप्ति की जिला की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. जन संपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

R. Singh
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

विषय:- विज्ञापित भृत्य पद हेतु।

आवेदक का
रंगीन पासपोर्ट
साइज़ फोटो

- 1 आवेदक का पूरा नाम
- 2 पुरुष/महिला
- 3 पिता/पति का नाम
- 4 वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
..... शहर का नाम.....
- फोन नं0.....मोबाईल नं0..... ई-मेल आईडी.....
- 5 स्थाई पता :.....
..... मोबाईल नं0.....
6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो).....
7. जन्मतिथि.....शब्दों में.....
8. दिनांक को आवेदक की आयु.....दिन..... माह..... वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति - विवाहित/अविवाहित
10. वर्ग - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांग.....(आरक्षित श्रेणी हेतु द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
- 11 शैक्षणिक योग्यता:

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	08वी				

12. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13. मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम

:: घोषणा पत्र ::

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, यह पूर्णतः सत्य है एवं जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र /नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही विरुद्ध इस प्रकार कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम